

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

आपकी/उसके/उसकी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है **अरुण सागर ७ नं. १** 2. वर्तमान धरित पद **वहाय ३ ग्रेड-III**

3. वर्तमान वेतन अगली वेतनवृद्धि की तारीख

जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित है	संपत्ति का नाम तथा स्वरि		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धरित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा स्वरि	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

कहा जाएगा न हो कार दीजिए।
 एसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 इसमें आल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 धारा 17: मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आवृत्त) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महाने की अवधि के परभाव यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और साथ ही वह अपने स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर धरित अचल सम्पत्ति के नाम, प्रकार, मूल्य, स्वरि, क्षेत्र, तारीख आदि का विवरण बतलाए।

हस्ताक्षर **अ. क. सागर**
 नाम **अरुण सागर**
वहाय ३ ग्रेड-III
 पद **ल. ग्रेड-III**